प्रपत्र–2

भाग–ट

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव –/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	:–	संलग्न है।
	(ग) परियोजना की लागत।	:–	.... लाख
	(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:–	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
	(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	:–	संलग्न है।
	(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	:–	मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	:–	

आरक्षित वन भूमि	:–	0.000 हे0
सिविल सोयम भूमि	:–	0.0 हे0
वन पंचायत भूमि	:–	1.456 हे0
मलवा निस्तारण हेतु भूमि	:–	0.045 हे0
योग	:–	**1.501 हे0**

3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	:–	लागू नहीं है।
	(क) परिवारों की संख्या	:–	....
	(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के	:–	....
	(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	:–	....
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अर्न्तगत मन्जूरी आवष्यक है ? (हां/नही)	:–	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	:–	संलग्न है।
6.	निर्देषों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	:–	संलग्न है।

दिनाँक ....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान ....

नाम– ....

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र–3

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग–2

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :– जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग

प) राज्य/संघराज्यक्षेत्र :– उत्तराखण्ड

(पप) जिला :– रूद्रप्रयाग

(पपप) जिला वन प्रभाग :– रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

(पअ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :– 1.50 है0

8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः :– ~~वन पंचायत भूमि~~ पटीवल

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः :–

(प) वन का प्रकार :– मिश्रित वन

(पप) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व :– 0.20 – 0.30

(पपप) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :– संलग्न

(पअ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :–

10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :– भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : :– 1.25 Km.

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : :–

(प) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : :– गुलदार, घुरड़, काकड़ आदि

(पप) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं

(पपप) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं

(पअ) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) :– नही

(अ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खत्तरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :– नही

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :– नही

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :– संलग्न

(प) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि :– न्यूनतम एंव अपरिहार्य

(पप) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :–

15. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे :** :– x

(प) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) :– नही

(पप) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लि :– नही

(पपप) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :– नही

(पपप) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :– नही

(पअ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। :– संलग्न

(अ) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : :– संलग्न

(अप) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। :– हॉ

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। :– हॉ

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें :– सिफारिस की जाती है

दिनाँक..................

स्थान........रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम (मयंक शेखर झा)

सरकारी मोहर उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग–III

19 क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षज्ञण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। :–

20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। :–

21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :–

हस्ताक्षरः

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर